

2021/832

प्रशासन गांवों के संग  
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)कैम्प मालावास

कमांक :- राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/

दिनांक:-22.11.2021

शु.नं. 721/21 "आदेश"

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मालावास व भू.अ.नि. चौकड़ी कलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मालावास तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में ग्राम मालावास के खाता संख्या 182 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मालावास	182	138	शंकरराम पुत्र केवलराम	शंकरलाल पुत्र केवलराम

(दुलाराम)

पीठासीन अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर  
दिनांक:-22.11.2021

कमांक :- राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/  
प्रतिलिपी:-

1202-4

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. हल्का पटवारी मालावास को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी शंकरलाल पुत्र केवलराम जाति माली निवासी मालावास को सूचनार्थ।

(दुलाराम)

पीठासीन अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर